डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत–न्यायाल सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) मुकाम–बांदीकुई

जज इजलास–रामसिंह राजावत आर.ए.एस. सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)

उनवान– आशा देवी बनाम घनश्याम वगै

दावा उदघोषणा , खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर : 300 / 2022(167 / 2023)

आदेश है कि ग्राम रलावता तहसील बांदीकुई जिला दौसा में भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 66 पुरानी 64 के खसरा नम्बर 625 रकबा 0.37 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.37 है० में वादिया द्वारा अपने पिता के हिस्से में से 1/3 की खातेदार साबित नही होने के कारण दावा वादिया खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी होकर प्रकरण बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निज.....मुबलिग.....बाबत्.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद मसरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29 माह 12 सन् 2025 को जारी की गई।

29/12/25

(रामसिंह राजावत)
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

सहायक कलेक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) शिकई

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामास्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल	स्आम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल

29/12/25

दस्तखत.....

ओहदा.....सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) शिकुई

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) बांदीकुई

पीठा सीन अधिकारीः– रामसिंह राजावत आर.ए.एस

मु.न. 300/2022(167/2023)
न्यायालय हाजा में दर्ज दिनांक 01.06.2025
निर्णय दिनांक 29.12.2025

उनवान

1. आशा देवी पुत्री घनश्याम सैन पत्नि मुकेश सैन जाति नाई निवासी रलावता तहसील बांदीकुई जिला दौसा हाल निवासी ओम नर्सिंग होम के सामने गोनेर रोड खानिया जयपुर जिला जयपुर।

.....वादिया

बनाम

1. घनश्याम पुत्र रामनाथ
2. राधेश्याम पुत्र रामनाथ
3. रामावतार पुत्र रामनाथ
4. रामेश्वर पुत्र रामनाथ
5. कोमल पुत्र रामस्वरूप
6. अनिल पुत्र रामस्वरूप
7. सुशीला पत्नि रामस्वरूप
8. हितेश पुत्र रामस्वरूप

समस्त जाति सैन/नाई निवासी रलावता तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

9. उपपंजीयन अधिकारी, उपपंजीयन कार्यालय बडियाल कलां जिला दौसा।
10. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार तहसील बांदीकुई
11. राजेन्द्र पुत्र रामनाथ सैन जाति नाई

.....प्रतिवादीगण

उपस्थितः– वादिया अधिवक्ता श्री हंसराज जांगिड, एडवोकेट
प्रतिवादी अधिवक्ता श्री गिर्राज प्रसाद एडवोकेट

दावा उद्घोषणा, तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

––:निर्णयः––

दिनांक 29.12.2025

वादिया द्वारा प्रतिवादीगण दावा उद्घोषणा खातेदारी स्थायी निषेधाज्ञा का जरिये वकील श्री हंसराज जांगिड के न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई के न्यायालय में पेश किया गया था। शीघ्र सुनवाई हेतु न्यायालय हाजा में स्थानान्तरित होकर पेश हुआ। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः– ग्राम रलावता तहसील बांदीकुई जिला दौसा में भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 66 पुरानी 64 के खसरा नम्बर 625 रकबा 0.37 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.37 है० स्थित है। भूमि उपरोक्त पूर्व में वादिया के बाबा रामनाथ के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि रही है बाबा रामनाथ की मृत्यु के उपरान्त वादिया के पिता घनश्याम व प्रतिवादीगण संख्या 2 ला० 4 के नाम खातेदारी व कब्जे काश्त में रही है और वादिया के बाबा रामनाथ की मृत्यु के उपरान्त प्रतिवादी नं० 1 ला० 4 को विरासत में मिली हुयी भूमि है। कानूनन हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत बाबा की सम्पति में पौत्र–पौत्रियों का एव पिता की सम्पत्ति में पुत्र पुत्रियों का समान अधिकार होता है। वादिया मृतक बाबा रामनाथ की पोत्री तथा प्रतिवादी नं० 1 घनश्याम की जायन्दा पुत्री है। जो प्रतिवादी नं० 1 की चल व अचल सम्पति में प्रतिवादी नं० 1 की सह हिस्सेदार खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण नं0 1 ला० 4 ने राजस्व अधिकारियों से मिलकर समस्त भूमि की खातेदारी अपने नाम अकेले दर्ज करवा ली

2492

सहायक कलेक्टर एव
कार्यापालक मजिस्ट्रेट

Scanned with OKEN Scanner

जबकि कानून वादिया, प्रतिवादी नं० 1 की सहहिस्सेदार खातेदार काश्तकार रही है सिजरा खानदान निम्नप्रकार से है–

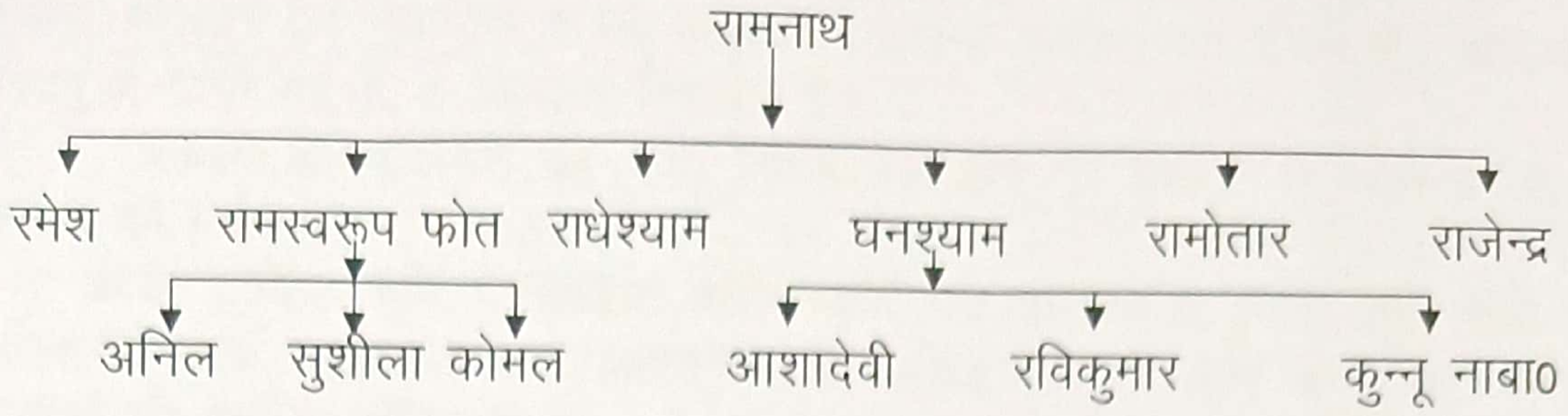

इस प्रकार वादिया भूमि मुतदाविया में प्रतिवादी नं० 1 के नाम दर्ज खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 66 व 64 में प्रतिवादी नं0 1 के हिस्सा 1/7 में 1/3 की सहिस्सेदार है इस कारण वादीया समस्त भूमि में प्रतिवादी नं० 1 की सहिस्सेदार होने के कारण अपना नाम बतौर सखातेदार काश्तकार दर्ज करवाने की अधिकारी है और इस अमर की घोषणा न्यायालय हाजा से अपने पक्ष में कराने की अधिकारिणी है । भूमि मुतदाविया का अभी तक विधिवत तकास्मा नही हुआ है मन समाई से बाट कर पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काश्त कर मुफीद होते चले आ रहे है व लगान अदा करते चले आ रहे है लेकिन बिना तकास्मा होकर अलग अलग खाते कायम हुये बगैर कोई भी पक्ष अपने हिस्से पर आधुनिक उपकरण लगाकर भूमि मुतदाविया को अधिक उपजाऊ नही बना सकता है न राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली कृषि सहायता भी एक दूसरे की सहमति के बिना प्राप्त नहीं कर सकता है फसल बोते व काटते समय व लगान अदा करते समय पक्षकारान में विवाद हो जाता है ऐसी सूरत में वादिया भूमि मुतदाविया का सरस नरस के हिसाब से प्रतिवादी संख्या 1 खतौनी संख्या 66 एव 64 में 1/7 वे हिस्से में अपने हिस्से 1/3 हिस्से का तकासमा करवाकर वादीया प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में से अपने 1/3 हिस्से का अलग चक व अलग खाता कायम कराने की अधिकारिणी है व लगान का भी इसी कदर बंटवारा कराकर अलग अलग पास बुके जारी करवाने की अधिकारिणी है इस अमर की डिक्री न्यायालय हाजा से प्राप्त करने की अधिकारी है । दिनांक 5/10/2022 को वादीया ने प्रतिवादी नं० 1 से कहा कि आप मेरा नाम बतौर सखातेदार तहसीलदार बसवा के यहां चल कर भूमि मुतदाविया में दर्ज करवा दो तो प्रतिवादीगण नं० 1 ने वादीया का नाम बतौर सखातेदार दर्ज कराने की मना करदी और ऐलानियां कहा कि मैं न तो तुम्हे भूमि में कोई हिस्सा ही दूँगा और न तुम्हारा नाम खातेदारी में दर्ज कराउगा बल्कि समस्त भूमि को किसी दीगर सख्स को रहन व बय करके तुम्हारे हक हकूक भूमि से जाया करके रहूँगा ऐसी सूरत में वादिया प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबंद करवाने की अधिकारी है कि प्रतिवादीगण उनके नाम हो रही गलत खातेदारी की आड़ में किसी दीगर सख्स को रहन व बय करने से एव वादीया को उसके हिस्से अनुसार काश्त करने में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा करने से, खाम या पुख्ता निर्माण करने से, पेड पोधो को खोदने व काटने से, स्वय या अपने एजेन्टो नोकरो या अन्य मददगारान के पाबंद रहे मौके व राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे । अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि बाद तहकीकात दावा वादीगण वरखिलाफ प्रतिवादीगण निम्न इस्तदुआ स्वीकार करते हुये डिक्री फरमाया जावें कि डिक्री उद्घोषणा खातेदारी बतौर सहखातेदार वादिया के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की जारी की जावे कि भूमि मुतदाविया भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 66 पुरानी 64 के खसरा नम्बर 625 रकबा 0.37 कुल किता 1 कुल रकबा 0.37 है० स्थित ग्राम रलावता तहसील बॉदीकुई जिला दौसा प्रतिवादी नं० से, तथा प्रतिवादीगण 9 व 10 भूमि मुतदाविया की बाबत भूमि की बाबत पेश किये जाने वाले किसी भी रहननामा बयनामा आदि को पंजीकृत करने से व बहैसियत भूमिधारी राजस्व रिकार्ड में किसी भी प्रकार की तब्दीली करने से दवामि तौर पर पाबंद रहें मौका व राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण विधिवत की गई। प्रतिवादी 1 की की ओर से अधिवक्ता हाजीर हुये जवाब प्रतिवादी 1 का बन्द किया गया प्रतिवादी संख्या 11 की एक पक्षीय कार्यवाही की गई प्रतिवादीगण नं० 2 लगायत 8 द्वारा जवाब दावा पेश किया जो निम्नानुसार है –वाद पत्र ग्राम रलावता तहतील बांदीकई जिला दौसा में भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 66 पुरानी 64 खसरा नम्बर 625 रकबा 0–37 हैक्टयर कुल किता कुल रकबा 0.37 है० में प्रतिवादीगण 2 लगा था 8 का 1/7–1/7 प्रत्येक का हिस्सा राजस्व

सहायक कलेक्टर एव
कार्यापालक मजिस्ट्रेट

रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है और भूमि पर कब्जा काश्त करते चले रहे है। सजरा खानदान बनाया गया है वह गलत है। राजस्व रिकार्ड मुताबिक प्रत्येक प्रतिवादीगण का 1/7–1/7 हिस्सा अनुसार एवं मुताबिक कब्जा अनुसार तकास्मा करवाने को तैयार है। वादिया द्वारा जो इस्तदुजा मांगी गई है, वे बिल्कुल निराधार है।

प्रकरण प्रतिवादीगण का उक्त जवाब पेश होने पर प्रकरण में निम्न प्रकार तनकीयात कायम की गईः–

1. आया वादिया भूमि मुतदाविया वर्णित वाद पत्र विरास्त मे मिली हुयी भूमि है। जिसमे प्रतिवादी नम्बर 1 सह खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी 1 के साथ अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने की वादिया अधिकारी है। वादिया.....।
2. आया वादिया प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है। वादिया.....।
3. आया प्रतिवादी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में हिस्से एवं कब्जे अुनसार सरस–नरस तकास्मा करवाने हेतु सहमत है। प्रतिवादी 2 लगा 8
4. आया वादिया प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की अधिकारी नही है। प्रतिवादी 2 लगा 8
5. अनुतोष.....।

प्रकरण में उक्त तनकीयात कायम होने पर प्रकरण वादी साक्ष्य पर नियत किया गया वादी की ओर से आशा देवी, मुकेश सैन का पेश किया गया जिरह प्रतिवादी अधिवक्ता वादी साक्ष्य बन्द की जाकर प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य पर नियत किया गया प्रतिवादी की ओर से रामेश्वर प्रसाद सैन, राधेश्याम सैन, मनीषा देवी का पेश किया गया। जिरह वादी अधिवक्ता द्वारा की गई। प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की जाकर प्रकरण बहस पर नियत किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र को दोहराते हुये तर्क किया है कि वादिया के बाबा रामनाथ के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि रही है बाबा रामनाथ की मृत्यु के उपरान्त वादिया के पिता घनश्याम व प्रतिवादीगण संख्या 2 ला० 4 के नाम खातेदारी व कब्जे काश्त में रही है और वादिया के बाबा रामनाथ की मृत्यु के उपरान्त प्रतिवादी नं० 1 ला० 4 को विरासत में मिली हुयी भूमि है। कानूनन हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत बाबा की सम्पति में पौत्र–पौत्रियों का एव पिता की सम्पत्ति में पुत्र पुत्रियों का समान अधिकार होता है। वादिया मृतक बाबा रामनाथ की पोत्री तथा प्रतिवादी नं० 1 घनश्याम की जायन्दा पुत्री है। जो प्रतिवादी नं० 1 की चल व अचल सम्पति में प्रतिवादी नं० 1 की सह हिस्सेदार खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण नं0 1 ला० 4 ने राजस्व अधिकारियों से मिलकर समस्त भूमि की खातेदारी अपने नाम अकेले दर्ज करवा ली जबकि कानून वादिया, प्रतिवादी नं० 1 की सहहिस्सेदार खातेदार काश्तकार रही है। दावा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी नम्बर 1 के हिस्से 1/7 में वादिया अपने हिस्से 1/3 की खातेदारी एवं तकास्मा किया जावे।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अपना जवाब दावे को दोहराते हुये तर्क किया है कि पिता के जिवित रहते संपत्ति में अधिकारी नही होता है। इसलिये दावा खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय द्वारा बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया प्रकरण का तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार हैः–

तनकी संख्या 1 आया वादिया भूमि मुतदाविया वर्णित वाद पत्र विरास्त मे मिली हुयी भूमि है। जिसमे प्रतिवादी नम्बर 1 सह खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी 1 के साथ अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने की वादिया अधिकारी है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादिया पर वादिया द्वारा वाद की ताईद में प्रदर्श 1 ग्राम रलावता के खाता संख्या नया 66 पुराना 64 सम्वत 2074 से 2077 की जमाबन्दी पेश की गई है जिसमें प्रतिवादी संख्या घनश्याम पुत्र रामनाम का 1/7 हिस्सा दर्ज है। प्रदर्श 2 जमाबन्दी खातौनी संवत 2056 से 2061 पेश की गई है। जिसमे रामनाथ पुत्र रामेदवा का नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण का कथन है कि पिता के जिवित रहते हुये पुत्र या पुत्रियों को पिता की सम्पति में हक अधिकार नही होता है। प्रदर्श 2 से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पत्ति है। जिसमे वादिया का हक निहित है। वादिया वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से 1/7 में से 1/3 हिस्सा चाहती है। सजरा खानदान अनुसार घनश्याम के 1 पुत्री आशा देवी 2 रविकुमार 3 कुन्नु

सहायक कलेक्टर एव
कार्यापालक मजिस्ट्रेट

नाबा वादिया के अलावा दो संतान ओर है। वादिया का वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्सा बनता है। जबकी वादिया द्वारा इस्तदुआ ब में हिस्सा 1/3 मांगा वादिया का वादग्रस्त भूमि में हिस्सा घनश्याम के हिस्से में हिस्सा 1/3 किस प्रकार बनता है यह साबित नही किया गया है। इसलिये वादिया को वादग्रस्त भूमि में वादिया द्वारा अपने पिता के हिस्से मे से 1/3 हिस्सा नही दिया जा सकता है। उक्त तनकी वादिया पक्ष में तय नही की जा सकती है।

2 आया वादिया प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादिया पर है। तनकी संख्या 1 के विवेचन के आधार पर वादिया वादग्रस्त भूमि में खातेदार नही है। इसलिये खातेदारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की अधिकारी नही है।

तनकी संख्या 3 आया प्रतिवादी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में हिस्से एवं कब्जे अुनसार सरस–नरस तकास्मा करवाने हेतु सहमत है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी 2.लगा.8 प्रतिवादीगण द्वारा उक्त संबंध में कोई दस्तावेज पेश या काउन्टर वाद पेश नही किये गये। नही किया गया है। जिससे उक्त तनकी वादिया के पक्ष में साबित करने में असफल रहे है।

तनकी संख्या 4. आया वादिया प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की अधिकारी नही है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी 2 लगा 8 तनकी संख्या 1 के विवेचन के आधार पर वादिया को वादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्से खातेदारी नही बनने के कारण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की अधिकारी नही है। तनकी संख्या 4 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

5. अनुतोषः– वादग्रस्त भूमि में वादिया द्वारा अपने पिता के हिस्से में से 1/3 हिस्से की खातेदारी चाही गई है। जबकी वादग्रस्त भूमि में वादिया का 1/3 हिस्सा नही बनता है। इसलिये वादिया को उसके पिता के हिस्से मे से 1/3 का खातेदार घोषित नही किया जा सकता है। दावा वादिया पोषणीय नही होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि ग्राम रलावता तहसील बांदीकुई जिला दौसा में भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 66 पुरानी 64 के खसरा नम्बर 625 रकबा 0.37 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.37 है० में वादिया द्वारा अपने पिता के हिस्से में से 1/3 की खातेदार साबित नही होने के कारण दावा वादिया खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी होकर प्रकरण बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 29.12.2025 को खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया गया।

29/12/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
बांदीकुई

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक)
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner